दिल्ली राजपत्र (भाग - 4) असाधारण में प्रकाशनार्थ) राज्य चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार

निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006

स0फा 04 (229) ओ एस डी-1/विधि0/सचि0/2017/1865

दिनांक 08 मई 2017

<u>अधिसूचना</u>

इस आयोग की सम संख्या दिनांक 13 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए इस आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड स॰ 40-E (मौजपुर) के लिए स्थिगत मतदान की मतगणना पूर्व घोषित आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार 16 मई 2017 की बजाय अब दिनांक 23 मई 2017 (मंगलवार) को होगी |

हस्ता0/— (एस ० के० श्रीवास्तव) राज्य च्नाव आय्क्त

(TO BE PUBLISHED IN AN EXTRA ORDINARY GAZETTE OF DELHI, PART IV)

STATE ELECTION COMMISSION N.C.T. OF DELHI, NIGAM BHAWAN KASHMERE GATE, DELHI-110006

No.F.4 (229)/OSD.I/Legal/SEC/2017/1865

Dated the 08 May, 2017

NOTIFICATION

In partial modification of this Commission's Notification of even number dated the 13th April, 2017, the Commission has decided to conduct the counting of votes for the adjourned poll in Ward No.40E (MAUJ PUR) of East Delhi Municipal Corporation, on 23rd May, 2017 (TUESDAY) instead of 16th May, 2017 (Tuesday) as notified earlier vide Commission's Notification mentioned above.

Sd/-(S.K.SRIVASTAVA) State Election Commissioner